क्रम-संख्या—942

रजि० नं० एल. डब्ल्यू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 30 दिसम्बर, 1993

पौष 9, 1915 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1693/सत्रह-वि–1–1(क) 10-1993

लखनऊ, 30 दिसम्बर, 1993

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1993 पर दिनांक 29 दिसम्बर, 1993 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन 1993) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1993

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1993]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1993 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 1 अप्रैल, 1992 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1 सन् 1939 की धारा 3 का संशोधन

2--संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) में, अंक और शब्द "40 पैसे" के स्थान पर शब्द "अस्सी पैसे" और अंक और शब्द "20 पैसे" के स्थान पर शब्द "चालीस पैसे" रख दिए जायेंगे।

मूल अधिनियम के अधीन अल्कोहल के क्रय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण का वैधीकरण

3--मूल अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अल्कोहल के क्रय पर उद्ग्रहीत और संग्रहीत या उद्ग्रहीत और संग्रहीत किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कर को इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहीत समझा जाएगा और विधिमान्यतः उद्ग्रहीत और संग्रहीत समझा जाएगा, और तदनुसार :--

(क) ऐसे कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किए गए समस्त कृत्यों, की गई कार्यवाहियों या चीजों को सदैव से विधि के अनुसार किया गया समझा जायेगा, और

(ख) इस प्रकार उद्ग्रहीत और संग्रहीत कर की वापसी के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के, जो भी हो, विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही न तो चलाई जाएगी और न जारी रखी जाएगी।

आज्ञा से,
एन० के० नारंग
सचिव।

No. 1693 (2)/XVII-V-1—1(KA) 10-1993

Dated Lucknow, December 30, 1993

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Spirit, Diesel Oil Tatha Alkohal Bikri Karadhan (Sanshodhan Aur Vaidhikaran) Adhiniyam, 1993 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 1993) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 29, 1993.

THE UTTAR PRADESH SALES OF MOTOR SPIRIT, DIESEL OIL AND ALCOHOL TAXATION (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1993

[U. P. Act No. 7 of 1993]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN
ACT

further to amend the U. P. Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939.

It is hereby enacted in the Fortyfourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment and Validation) Act, 1993.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 1, 1992.

Amendment of section 3 of U. P. Act No. 1 of 1939

2. In section 3 of the U. P. Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), in clause (*c*), *for* the figure and word "40 paise" the words "eighty paise" and *for* the figure and word "20 paise" the words "forty paise" shall be *substituted*.

Validation of levy and collection of tax on purchase of alcohol under the principal Act

3. Notwithstanding anything contained in the principal Act, any tax levied and collected or purported to have been levied and collected on the purchase of alcohol under clause (*c*) of sub-section (1) of section 3 of the principal Act or the rules framed thereunder shall be deemed to be levied and collected under the provisions of the principal Act as amended by this Act and be deemed to be validly levied and collected, and accordingly—

(*a*) all acts, proceedings or things done or taken by the State Government or by any officer of the State Government or by any other authority in connection with the levy and collection of such tax, shall be deemed to be and to have always been done or taken in accordance with law; and

(*b*) no suit or other proceeding shall be maintained or continued in any Court against the State Government or any person or authority whatsoever for the refund of the tax so levied and collected.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी० ए० पी० 75 सा० विधा० (हि०)–(2760)–1993–850 (मेक०)।